

31 मार्च, 2019

**को समाप्त वर्ष के लिये
वार्षिक लेखा विवरण**

भारतीय लेखा तथा लेखा-परीक्षा विभाग
कार्यालय महानिदेशक वाणिज्यिक लेखा-परीक्षा
तथा पदेन सदस्य लेखा-परीक्षा बोर्ड, चेन्नै
Indian Audit and Accounts Department
Office of the Director General of Commercial Audit
and ex-officio Member Audit Board, Chennai

दिनांक: 10.10.2019

सं. डीजीसीए/चेन्नै/सीए 2/2-160/आईआरडीए/लेखा 18-19/2019-20/405

सेवा में,

सचिव, भारत सरकार
वित्त मंत्रालय,
वित्तीय सेवाएँ विभाग,
कमरा नं. 32, जीवन दीप भवन,
संसद मार्ग,
नई दिल्ली-110001

महोदय,

विषय: वर्ष 2018-19 के लिए भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
(आईआरडीएआई) के लेखों से संबंधित अलग लेखा-परीक्षा रिपोर्ट के संबंध में

मैं इसके साथ वर्ष 2018-19 के लिए भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के खातों से संबंधित अलग लेखा-परीक्षा रिपोर्ट प्रेषित करता हूँ।

संसद में यथाप्रस्तुत लेखा-परीक्षा रिपोर्ट एवं लेखों की एक प्रति इस कार्यालय को भेजी जाए तथा इनकी चार प्रतियाँ महानिदेशक (वाणिज्यिक), कार्यालय भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, पॉकेट 9, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली 110124 को प्रेषित की जाएँ।

कृपया उक्त लेखों और लेखा-परीक्षा रिपोर्ट की संसद में प्रस्तुति की तारीखों से इस कार्यालय को अवगत कराया जाए।

इस पत्र की अनुलग्नकों सहित प्राप्ति-सूचना भेजी जाए।

भवदीय,

हस्ता./-

(आर. अंबलवानन)

महानिदेशक, वाणिज्यिक लेखा-परीक्षा तथा
पदेन सदस्य, लेखा-परीक्षा बोर्ड, चेन्नै

अनुलग्नक: यथोक्त

सं. डीजीसीए/चेन्नै/सीए 2/2-160/आईआरडीए/लेखा 18-19/2019-20/406 दिनांक:10.10.2019

वर्ष 2018-19 के लिए अलग लेखा-परीक्षा रिपोर्ट की प्रतिलिपि इसे बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए अध्यक्ष, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण को प्रेषित। लेखों, लेखा-परीक्षा रिपोर्ट और लेखा-परीक्षा प्रमाणपत्र के अंग्रेजी और हिन्दी पाठ की पाँच प्रतियाँ भिजवाएँ। बोर्ड के समक्ष/ संसद में उक्त रिपोर्ट की प्रस्तुति की तारीखें कृपया इस कार्यालय को सूचित की जाएँ।

हस्ता./- 10/10/19

(आर. अंबलवानन)

महानिदेशक, वाणिज्यिक लेखा-परीक्षा तथा
पदेन सदस्य, लेखा-परीक्षा बोर्ड, चेन्नै

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) के लेखों के संबंध में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की अलग लेखा-परीक्षा रिपोर्ट

हमने बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) अधिनियम, 1999 की धारा 17(2) के साथ पठित नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) के अधीन 31 मार्च 2019 को यथाविद्यमान भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) के संलग्न तुलन-पत्र तथा उस दिनांक को समाप्त वर्ष के लिए आय-व्यय लेखों/ प्राप्त और भुगतान खाते की लेखा-परीक्षा की है। ये वित्तीय विवरण भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) के प्रबंधन का दायित्व हैं। हमारी जिम्मेदारी अपनी लेखा-परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अभिमत व्यक्त करने की है।

2. इस अलग लेखा-परीक्षा रिपोर्ट में केवल वर्गीकरण, सर्वोत्तम लेखांकन प्रथाओं के अनुसरण, लेखांकन मानकों और प्रकटीकरण मानदंडों, आदि के संबंध में लेखाकरण-व्यवहार पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) की टिप्पणियाँ हैं। कानूनों, नियमों और विनियमों (औचित्य और नियमितता) तथा कार्यकुशलता-व-कार्यनिष्पादन के पहलुओं आदि, यदि कोई हों, के अनुपालन के संबंध में वित्तीय लेनदेनों पर लेखा-परीक्षा टिप्पणियाँ निरीक्षण रिपोर्टों/ सीएजी की लेखा-परीक्षा रिपोर्टों के माध्यम से अलग से सूचित की गई हैं।

3. हमने अपनी लेखा-परीक्षा का संचालन भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा-परीक्षा मानकों के अनुसार किया है। इन मानकों से यह अपेक्षित है कि हम लेखा-परीक्षा की योजना और निष्पादन इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए करें कि वित्तीय विवरण महत्वपूर्ण गलतबयानी से मुक्त हैं। लेखा-परीक्षा में जाँच के आधार पर वित्तीय विवरणों में दर्ज राशियों और प्रकटीकरण का समर्थन करनेवाले साक्ष्य का परीक्षण करना शामिल है। लेखा-परीक्षा के अंतर्गत लेखांकन के प्रयुक्त सिद्धांतों और प्रबंधन द्वारा किये गये महत्वपूर्ण अनुमानों का निर्धारण एवं वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन करना भी सम्मिलित है। हम विश्वास करते हैं कि हमारी लेखा-परीक्षा हमारे अभिमत के लिए उपयुक्त आधार उपलब्ध कराती है।

4. हम अपनी लेखा-परीक्षा के आधार पर सूचित करते हैं कि:

i. हमने वह सारी सूचना और वे सभी स्पष्टीकरण प्राप्त किये हैं जो हमारी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखा-परीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे।

- ii. इस रिपोर्ट द्वारा व्यवहृत तुलन-पत्र तथा आय-व्यय लेखा/ प्राप्ति और भुगतान खाता वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित खातों के सामान्य फार्मेट में तैयार किये गये हैं।
- iii. हमारी राय में उचित लेखा-बहियाँ और अन्य संबंधित अभिलेख भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 17(1) के अंतर्गत अपेक्षित रूप में रखे गये हैं जहाँ तक हमारे द्वारा ऐसी बहियों के परीक्षण से प्रतीत होता है।
- iv. हम आगे यह भी सूचित करते हैं कि भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने सीएजी द्वारा जारी की गई लेखा-परीक्षा टिप्पणियों के आधार पर उक्त वर्ष के लिए अपने तुलन-पत्र तथा आय-व्यय लेखे / प्राप्ति और भुगतान खाते में संशोधन किया है। इसके परिणामस्वरूप, व्यय की तुलना में आय की अधिकता में 12.06 करोड़ रुपये की कमी अर्थात् 110.59 करोड़ रुपये से 98.53 करोड़ रुपये तक कमी आई है।
- v. हम सूचित करते हैं कि इस रिपोर्ट द्वारा व्यवहृत संशोधित तुलन-पत्र तथा आय-व्यय लेखा / प्राप्ति और भुगतान खाता लेखा-बहियों के साथ मेल खाते हैं।
- vi. हमारी राय में तथा हमारी अधिकतम जानकारी और हमें दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार, लेखांकन नीतियों और लेखों से संबंधित टिप्पणियों के साथ पठित उपर्युक्त वित्तीय विवरण, एवं उपर्युक्त महत्वपूर्ण बातों और इस लेखा-परीक्षा रिपोर्ट के अनुबंध I में उल्लिखित अन्य बातों के अधीन, भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन के सिद्धांतों के अनुरूप एक सही और उचित दृष्टि प्रस्तुत करते हैं :

क. जहाँ तक यह 31 मार्च 2019 को भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण की स्थिति का विवरण दर्शानेवाले तुलन-पत्र से संबंधित है; तथा

ख. जहाँ तक यह उस दिनांक को समाप्त वर्ष के लिए अधिशेष वाले आय-व्यय लेखे / प्राप्ति और भुगतान खाते से संबंधित है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लिए

और उनकी ओर से

हस्ता./-

(आर. अंबलवानन)

महानिदेशक, वाणिज्यिक लेखा-परीक्षा

तथा पदेन सदस्य, लेखा-परीक्षा बोर्ड, चेन्नै

स्थान: चेन्नै

दिनांक: 10.10.2019

अनुबंध I

1. आंतरिक लेखा-परीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता

प्राधिकरण की आंतरिक लेखा-परीक्षा आंतरिक लेखा-परीक्षा विभाग द्वारा संचालित की जाती है। संस्था के आकार को देखते हुए प्राधिकरण की आंतरिक लेखा-परीक्षा प्रणाली पर्याप्त पाई गई है।

2. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता

आंतरिक नियंत्रण की प्रणाली मजबूत बनाई गई है।

3. आस्तियों के प्रत्यक्ष सत्यापन की प्रणाली

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए आस्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन पूरा किया गया।

4. वस्तु-सूची (इन्वेंटरी) के प्रत्यक्ष सत्यापन की प्रणाली

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए वस्तु-सूची (इन्वेंटरी) का प्रत्यक्ष सत्यापन पूरा किया गया।

5. सांविधिक देय राशियों के भुगतान में नियमितता

प्राधिकरण अविवादित सांविधिक देय राशियाँ जमा करने में नियमित है।

हस्ता./-

निदेशक (प्रशासन)

फार्म - ए
भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र (आर)

| पिछले वर्ष के आंकड़े (31 मार्च 2018 को) (रुपये) | देयताएँ (2) | चालू वर्ष के आंकड़े (31 मार्च 2019 को) (रुपये) | पिछले वर्ष के आंकड़े (31 मार्च 2018 को) (रुपये) | आस्तियाँ (5) | चालू वर्ष के आंकड़े (31 मार्च 2019 को) (रुपये) |
|---|---|--|---|---|---|
| (1) | | (3) | (4) | | (6) |
| 8,93,243.68 | सामान्य निधि: (i) आईआरडीए निधि (टिप्पणी 4 देखें) -वर्ष के प्रारंभ में -वर्ष में प्राप्तियाँ -वर्ष के अंत में शेष | 8,93,243.68 | 48,76,27,516.41 | अपल आस्तियाँ (टिप्पणी 1 देखें) अनुबंध 1 के अनुसार सकल खंड घटाएँ: मूल्यहास निवल खंड | 2,04,52,29,543.06 34,78,96,783.49 1,69,73,92,759.57 |
| - | | - | 21,92,59,349.83 | | - |
| 8,93,243.68 | (ii) पूंजीगत निधि -पूँजीगत अनुदान -वर्ष के प्रारंभ में शेष जोड़ें: वर्ष के दौरान अनुदानों के रूप में प्राप्त अपल आस्तियों का मूल्य | 8,93,243.68 | 1,52,37,30,144.00 | चालू कार्य - आईआरडीएआई भवन | - |
| - | | - | - | निवेश (मूल्यांकन की पद्धति - लागत पर) (टिप्पणी 2 देखें) | - |
| - | | - | - | (i) केन्द्र और राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ | - |
| 13,35,09,31,400.11 | (iii) अधिरोप और निधियाँ | 13,90,38,51,630.20 | - | (ii) यूनित | - |
| 55,29,20,230.09 | -पिछले तुलन-पत्र के अनुसार शेष | 98,53,23,213.37 | 12,18,00,00,000.04 | (iii) बैंकों के पास सावधि जमा राशियाँ | 13,37,85,00,000.00 |
| 13,90,38,51,630.20 | जोड़ें: संलग्न आवेदन-व्यय लेख के अनुसार व्यय की तुलना में आय का आधिक्य | 14,88,91,74,843.57 | - | (iv) अन्य | - |
| - | - वर्ष के अंत में शेष | - | - | चालू आस्तियाँ (टिप्पणी 3 देखें) | - |
| - | (iv) उपहार और दान | - | 31,45,696.00 | (i) एजेंसियों के पास जमा राशियाँ: | 6,88,835.00 |
| - | (v) अन्य शेष | - | 41,65,43,884.93 | (ii) स्टाफ को कृप और अग्रिम: | 47,15,99,015.67 |
| - | कृप: | - | 75,55,85,933.10 | (iii) बीमा कंपनियों और अन्यो से प्राप्त राशि: | - |
| - | (i) जमानती (प्रयोजनार्थ दी गई जमानत बताते हुए) | - | 80,000.00 | (iv) अन्य चालू आस्तियाँ: | 78,40,15,176.10 |
| - | (ii) गैर-जमानती | - | 23,32,59,076.81 | (v) नकदी और बैंक शेष: | - |
| - | (iii) भारत सरकार से कृप | - | - | (क) हाथ में नकदी (हाथ में चेकों और मार्गस्थ नकदी सहित) | 23,73,02,110.59 |
| - | (iv) अन्य कृप | - | - | (ख) बैंक शेष (स्वीप शेष सहित) | - |
| 13,90,47,44,873.88 | आगे ले जाया गया | 14,89,00,68,087.25 | 15,33,16,04,084.71 | आगे ले जाया गया | 16,56,94,77,896.93 |

| निष्ठले वर्ष के आकड़े (31 मार्च 2018 को) (रुपये) | देयताएँ (2) | घातू वर्ष के आकड़े (31 मार्च 2019 को) (रुपये) | निष्ठले वर्ष के आकड़े (31 मार्च 2018 को) (रुपये) | आस्तियाँ (5) | घातू वर्ष के आकड़े (31 मार्च 2019 को) (रुपये) |
|--|---|---|--|-----------------|---|
| (1) | | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 13,90,47,44,873.88 | चातू देयताएँ और प्रावधान (टिप्पणी 6 देखें) (i) विविध लेनदार : - नृजीगत मदों के लिए - अन्य मदों के लिए (ii) प्रावधान - संदिग्ध ऋणों और अग्रिमों के लिए प्रावधान - निवेश के मूल्य में निःशेषण के लिए प्रावधान - स्वयं के लिए प्रावधान (iii) अन्य देयताएँ 1. व्यय न किये गये अनुदान 2. सरकारी/अन्य ऋणों के लिए देय व्याज 3. भविष्य-निधि, सेवानिवृत्ति और अन्य कल्याण निधियाँ : (क) भविष्य-निधि (ख) अन्य कल्याण निधियाँ (ग) सेवानिवृत्ति लाभ निधि और स्टाफ लाभ निधि 4. अन्य - अन्य देयताएँ - अग्रिम रूप से प्राप्त नवीकरण शुल्क | 14,89,00,88,087.25 | 15,33,16,04,084.71 | आगे लाया गया | 16,56,94,77,896.93 |
| 55,53,897.00 | | 5,12,78,400.00 | | | |
| 1,12,57,285.00 | | 6,11,27,747.00 | | | |
| | | | | | |
| 3,45,53,903.87 | | 3,75,70,860.41 | | | |
| 3,53,33,397.17 | | 4,23,78,883.97 | | | |
| 1,34,01,80,727.79 | | 1,46,70,55,918.30 | | | |
| 15,33,16,04,084.71 | कुल | 16,56,94,77,896.93 | 15,33,16,04,084.71 | कुल | 16,56,94,77,896.93 |

टिप्पणी:

- (1) अचल आस्तियों से संबंधित सूचना अनुबंध I में दी गई है।
- (2) निवेशों से संबंधित सूचना अनुबंध II में दी गई है।
- (3) घातू आस्तियों से संबंधित सूचना अनुबंध III में दी गई है।
- (4) आईआरडीए निधि का व्यौरा अनुबंध IV में दिया गया है।
- (5) आकस्मिक देयताओं का व्यौरा अनुबंध V में दिया गया है।
- (6) लेखों का भाग बनी हुई महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और टिप्पणियों से संबंधित समस्त सूचना अनुबंध IX में दी गई है।

(एम.एस. जयकुमार)
मुख्य लेखा अधिकारी

(प्रवीण कुंडुबे)
सदस्य

(सुजय बनर्जी)
सदस्य

(सुभाष सी. खुरिआ)
अध्यक्ष

फार्म - बी
भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए आय-व्यय लेखा (आर)

| पिछले वर्ष के आंकड़े (2017-18) (रुपये) | व्यय (2) | घातू वर्ष के आंकड़े (2018-19) (रुपये) | पिछले वर्ष के आंकड़े (2017-18) (रुपये) | आय (5) | घातू वर्ष के आंकड़े (2018-19) (रुपये) |
|--|---|---|--|--|---|
| (1) | | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 2,51,58,650.44 | अग्रदत्त और सदस्यों को भुगतान | 3,09,75,549.00 | - | सहायता अनुदान | - |
| 70,85,15,369.22 | स्टाफ-सदस्यों के लिए भुगतान और प्रावधान (टिप्पणी 1 देखें) | 82,76,02,057.93 | - | प्राप्त | - |
| 17,92,45,274.03 | स्थापना व्यय (टिप्पणी 2 देखें) | 24,68,85,340.29 | - | प्राप्त | - |
| 4,80,65,798.00 | किराया | 4,33,69,778.00 | - | घटाएँ: पूंजीगत निधि में अंतरित | - |
| - | अनुसंधान और परामर्श शुल्क | 31,15,200.00 | - | शुल्क: | - |
| 1,09,05,926.42 | सेमिनार, सम्मेलन, प्रकाशन, आदि | - | 85,02,035.18 | पूजीकरण शुल्क | 80,10,291.00 |
| - | व्याज (टिप्पणी 3 देखें) | - | 1,18,53,56,448.10 | नवीकरण शुल्क | 1,51,15,90,908.09 |
| 7,19,95,895.90 | मृत्युह्रास | 16,93,05,601.59 | - | अन्य | 20,97,550.00 |
| - | पूँजीगत आस्तियों बड़े खाते डाली गई | - | 1,01,87,200.00 | दंड, जुर्माना आदि | 81,02,100.00 |
| 4,54,267.00 | आस्तित्व को बड़े खाते डालने पर हानि | - | 1,09,51,681.05 | सेमिनार, सम्मेलन और प्रकाशन आदि | - |
| - | संदिग्ध ऋणों और अग्रिमों के लिए प्रावधान | - | 68,16,03,315.06 | निवेशों से आय | 83,35,08,864.46 |
| 2,35,40,730.00 | विकास संबंधी व्यय | 2,62,88,064.00 | - | जमा राशियों पर व्याज | - |
| 29,67,25,908.00 | संवर्धनात्मक व्यय | 5,13,47,738.00 | 1,83,63,591.85 | अग्रिमों पर व्याज: | 2,06,69,303.35 |
| 15,430.86 | अन्य व्यय | 9,243.49 | - | (i) आवास और अन्य प्रयोजनों के लिए स्टाफ-सदस्यों को प्रदत्त | - |
| 55,29,20,230.09 | व्यय से आय की अधिकता तुलन-पत्र में ले जाई गई | 98,53,23,213.37 | 5,79,208.72 | (ii) अन्य | 2,42,768.77 |
| | | | | विविध आय | |
| 1,91,55,43,479.96 | | 2,38,42,21,785.67 | 1,91,55,43,479.96 | | 2,38,42,21,785.67 |

महत्वपूर्ण संशोधन नीतियों और टिप्पणियों जो लेखों का भाग बनी हुई हैं - अनुबंध IX

टिप्पणियाँ

(1) स्टाफ-सदस्यों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान संबंधी सूचना अनुबंध VI में दी गई है।

(2) स्थापना व्ययों से संबंधित सूचना अनुबंध VII में दी गई है।

(3) व्याज की राशि से संबंधित सूचना अनुबंध VIII में दी गई है।

(एम.एस. जयकुमार)
मुख्य लेखा अधिकारी

(सवीण कुटुंबे)
सदस्य

(सुजय बनर्जी)
सदस्य

(सुभाष सी. खुटिया)
अध्यक्ष

फार्म - सी

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्ति और भुगतान खाता (आर)

| प्राप्तियाँ (1) | राशि (रुपये) (2) | भुगतान (3) | राशि (रुपये) (4) |
|---|---------------------|---|---------------------|
| प्रति, आगे लाया गया शेष | | द्वारा, अनुसंधान और परामर्श शुल्क | 31,15,200.00 |
| (i) बैंक में नकदी | 23,32,59,077.00 | द्वारा, सेमिनार, सम्मेलन, प्रकाशन आदि | - |
| (ii) हाथ में नकदी | 80,000.00 | द्वारा, क्रिपया | 4,33,38,515.00 |
| (iii) हाथ में चेक | - | द्वारा, विकास संबंधी व्यय | - |
| (iv) मार्गस्थ नकदी/ चेक | - | द्वारा, संवर्धनात्मक व्यय | 4,72,42,647.00 |
| प्रति, फंडीकरण शुल्क: | | द्वारा, अध्यक्ष और सदस्यों को भुगतान | |
| बीमा कंपनियों | 5,50,000.00 | (i) वेतन और भत्ते | 2,78,30,645.00 |
| बीमा दलाल | 21,10,000.00 | (ii) अन्य लाभ | 21,74,892.00 |
| बीमा एजेंट | - | (iii) यात्रा संबंधी व्यय | 1,00,05,886.00 |
| अन्य | 38,41,335.00 | | |
| प्रति, नवीकरण शुल्क | | द्वारा, स्थापना व्यय | |
| बीमा कंपनियों | 1,48,70,55,918.48 | (i) वेतन और भत्ते | 48,52,07,589.22 |
| बीमा दलाल | 8,81,01,689.07 | (ii) अन्य लाभ | 18,00,53,028.43 |
| बीमा सर्वेक्षक | 15,08,986.00 | (iii) यात्रा संबंधी व्यय | 3,09,03,556.00 |
| कार्पोरेट एजेंट | 8,34,71,844.02 | (iv) सेवाविवृति लाभ | 15,69,56,142.88 |
| अन्य | 47,700.00 | द्वारा, कार्यालय व्यय | 17,35,62,148.40 |
| प्रति, बीमाकर्ताओं और माध्यवर्तियों से प्राप्त ढंड, जर्माना | 81,02,100.00 | द्वारा, निम्नलिखित पर व्याज | |
| प्रति, सेमिनार, सम्मेलन, आदि | - | (i) सरकारी ऋण | - |
| प्रति, अनुदान | - | (ii) अन्य ऋण | - |
| (i) केन्द्र सरकार / राज्य सरकार / अन्य | - | द्वारा, आस्तियों की खरीद | |
| (ii) उपहार और दान | - | भवन - आवासीय फ्लैट | 1,03,744.00 |
| प्रति, विकास संबंधी व्यय | 12,11,936.00 | उपकरण | 70,440.00 |
| प्रति, ऋण | - | फर्निचर और जुड़नार | 2,67,443.00 |
| प्रति, पकाशन आदि की विक्री | - | कंप्यूटर | 10,14,200.00 |
| प्रति, आस्तियों की विक्री | 42,50,942.00 | कंप्यूटर अनुप्रयोग | - |
| प्रति, प्राप्त सुरक्षा जमा की राशि | 43,18,000.00 | गृह कार्यालय | 49,31,959.00 |
| प्रति, निवेश की विक्री | 12,18,00,000.00 | द्वारा, पूंजीगत धारू कार्य | |
| प्रति, निम्नलिखित पर प्राप्त व्याज | | (i) भवन | 4,03,21,680.00 |
| (i) जमा राशियाँ | 77,64,48,542.00 | (ii) अन्य | - |
| (ii) अग्रिम | - | द्वारा, स्टाफ और अन्य को अग्रिम, यात्रा अग्रिम सहित | 8,86,58,387.00 |
| (iii) अन्य | - | द्वारा, निवेश / बैंकों के पास जमा | 13,37,85,00,000.00 |
| प्रति, कर्मचारियों से वसूलियाँ | | द्वारा, सरकारी ऋणों की वसूली / शुल्क | - |
| (क) ऋण और अग्रिम | 4,79,27,672.87 | द्वारा, अग्रिम अन्य | 24,62,517.00 |
| (ख) ऋणों और अग्रिमों पर व्याज | 17,23,455.08 | द्वारा, अन्य ऋणों की वसूली | - |
| (ग) वित्तीय | - | द्वारा, भारतीय बीमा सूचना केन्द्र को भुगतान | 2,75,00,000.00 |
| प्रति, अन्य प्राप्ति | 21,32,563.00 | द्वारा, वसूली की गई सुरक्षा जमा | 46,19,000.00 |
| | | द्वारा, आगे ले जाया गया शेष | |
| | | (i) बैंक में नकदी | 23,73,02,110.59 |
| | | (ii) हाथ में चेक | - |
| | | (iii) हाथ में चेक | - |
| | | (iv) मार्गस्थ नकदी/ चेक | - |
| कुल | 14,92,61,41,730.52 | कुल | 14,92,61,41,730.52 |

(एम.एस. जयकुमार)
मुख्य लेखा अधिकारी

(प्रवीण कुटुंबे)
सदस्य

(सुजय बनर्जी)
सदस्य

(सुभाष सी. खुटिया)
अध्यक्ष

अनुबंध 1
भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
31 मार्च 2019 को यथाविद्यमान तुलन-पत्र के साथ संलग्न और उसका भाग बनी हुई अवल आस्तियों की अनुसूची

| विवरण | सकल छड़ | | | | मूल्यहास | | | | निवल छड़ | |
|--------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | 1-4-2018 को मूल्य (2) | वर्ष के दौरान परिवर्धन (3) | वर्ष के दौरान बेची/निपटई हुई (4) | 31-3-2019 को कुल योग (5) | 1-4-2018 को (6) | वर्ष के लिए (7) | विभाजित आस्तिसहित मूल्यहास (8) | 31-3-2019 को (9) | 31-3-2018 को (10) | 31-3-2019 को (11) |
| कार्यालय परिसर: | | | | | | | | | | |
| (क) भूमि | 10,000 | - | - | 10,000 | - | - | - | - | 10,000 | 10,000 |
| (ख) भवन | - | 1,18,22,63,824 | - | 1,18,22,63,824 | - | 2,33,34,865 | - | 2,33,34,865 | - | 1,15,89,28,959 |
| आवासीय प्लैट: | | | | | | | | | | |
| (क) भूमि | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (ख) भवन | 12,61,29,092 | 1,03,744 | - | 12,62,32,836 | 1,54,22,411 | 18,85,604 | - | 1,73,08,015 | 11,07,06,681 | 10,89,24,821 |
| वाहन | 1,71,10,459 | - | 7,38,952 | 1,63,71,507 | 53,50,544 | 18,81,993 | 6,96,556 | 65,35,981 | 1,17,59,915 | 98,35,526 |
| उपकरण | 1,50,19,879 | 27,06,46,440 | 85,73,866 | 27,70,92,453 | 1,12,94,711 | 6,50,46,138 | 75,52,667 | 6,87,88,181 | 37,25,168 | 20,83,04,272 |
| फर्निचर और जुड़नार | 4,57,12,725 | 18,17,29,443 | 1,92,71,922 | 20,81,70,246 | 2,25,36,023 | 2,50,62,069 | 1,22,61,022 | 3,53,37,070 | 2,31,76,702 | 17,28,33,176 |
| कंप्यूटर | 9,84,98,253 | 1,94,84,200 | 6,75,20,067 | 5,04,42,386 | 8,42,78,291 | 1,39,16,570 | 6,44,02,920 | 3,37,91,941 | 1,42,19,962 | 1,66,50,445 |
| गृह कार्यालय | 1,00,60,943 | 49,31,959 | 54,32,776 | 95,60,126 | 78,48,692 | 17,32,550 | 49,23,819 | 46,57,423 | 22,12,251 | 49,02,703 |
| कंप्यूटर अनुप्रयोग | 17,50,86,165 | - | - | 17,50,86,165 | 12,16,37,494 | 3,64,45,813 | - | 15,80,83,307 | 5,34,48,672 | 1,70,02,858 |
| कुल | 48,76,27,516 | 1,65,91,39,610 | 10,15,37,583 | 2,04,52,29,543 | 26,83,66,166 | 16,93,05,602 | 8,98,36,984 | 34,78,36,783 | 21,92,59,350 | 1,69,73,92,760 |

(एम.एस. जयकुमार)
मुख्य लेखा अधिकारी

अनुबंध II
भारतीय बीमा वित्तीयमक और विकास प्राधिकरण
31 मार्च 2019 को यथाविद्यमान तुलन-पत्र के साथ संलग्न और उसका भाग बना हुआ

निवेश

| क्रम सं. | बैंक का नाम | बैंक शाखा | एबीआई सं. | जमा करने की तारीख | जमा की गई राशि (रुपये) | ब्याज की दर (%) | परिचयता की तारीख | परिचयता राशि (रुपये) | प्राप्य ब्याज (रुपये) | उपस्थित ब्याज (रुपये) |
|--|----------------------|-----------------|-----------|-------------------|------------------------|-----------------|------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| वर्ष 2018-19 के दौरान की गई सावधि जमागतियों की सूची | | | | | | | | | | |
| 1 | विजया बैंक | बैंक स्ट्रीट | 588484 | 11-दिस-2018 | 10,00,00,000 | 7.38% | 11-दिस-2019 | 10,75,86,765.00 | 75,86,765 | 22,86,422 |
| 2 | विजया बैंक | बैंक स्ट्रीट | 588485 | 11-दिस-2018 | 9,00,00,000 | 7.38% | 11-दिस-2019 | 9,68,28,089.00 | 68,28,089 | 20,57,780 |
| 3 | विजया बैंक | बैंक स्ट्रीट | 588502 | 24-दिस-2018 | 10,00,00,000 | 7.41% | 24-दिस-2019 | 10,76,18,460.00 | 76,18,460 | 20,24,632 |
| 4 | विजया बैंक | बैंक स्ट्रीट | 588503 | 24-दिस-2018 | 10,00,00,000 | 7.41% | 24-दिस-2019 | 10,76,18,460.00 | 76,18,460 | 20,24,632 |
| 5 | विजया बैंक | बैंक स्ट्रीट | 588504 | 24-दिस-2018 | 10,00,00,000 | 7.41% | 24-दिस-2019 | 10,76,18,460.00 | 76,18,460 | 20,24,632 |
| 6 | विजया बैंक | बैंक स्ट्रीट | 588505 | 24-दिस-2018 | 10,00,00,000 | 7.41% | 24-दिस-2019 | 10,76,18,460.00 | 76,18,460 | 20,24,632 |
| 7 | विजया बैंक | बैंक स्ट्रीट | 588506 | 24-दिस-2018 | 1,04,00,00,000 | 7.41% | 24-दिस-2019 | 1,11,92,31,985.00 | 79,23,19,85 | 2,10,56,171 |
| 8 | विजया बैंक | बैंक स्ट्रीट | 588507 | 27-दिस-2018 | 78,94,00,000 | 7.41% | 27-दिस-2019 | 84,95,40,124.00 | 6,01,40,124 | 1,54,88,142 |
| 9 | विजया बैंक | बैंक स्ट्रीट | 588508 | 28-दिस-2018 | 1,63,39,00,000 | 7.41% | 28-दिस-2019 | 1,75,83,78,019.00 | 12,44,78,019 | 3,17,16,317 |
| 10 | विजया बैंक | बैंक स्ट्रीट | 588514 | 29-दिस-2018 | 3,30,80,00,000 | 7.41% | 29-दिस-2019 | 3,56,00,18,660.00 | 25,20,18,660 | 6,35,22,512 |
| 11 | विजया बैंक | बैंक स्ट्रीट | 588515 | 02-जन-2019 | 10,00,00,000 | 7.30% | 02-जन-2020 | 10,75,02,280.00 | 75,02,280 | 18,08,769 |
| 12 | विजया बैंक | बैंक स्ट्रीट | 588516 | 02-जन-2019 | 10,00,00,000 | 7.30% | 02-जन-2020 | 10,75,02,280.00 | 75,02,280 | 18,08,769 |
| 13 | विजया बैंक | बैंक स्ट्रीट | 588517 | 02-जन-2019 | 10,00,00,000 | 7.30% | 02-जन-2020 | 10,75,02,280.00 | 75,02,280 | 18,08,769 |
| 14 | विजया बैंक | बैंक स्ट्रीट | 588518 | 02-जन-2019 | 10,00,00,000 | 7.30% | 02-जन-2020 | 10,75,02,280.00 | 75,02,280 | 18,08,769 |
| 15 | विजया बैंक | बैंक स्ट्रीट | 588519 | 02-जन-2019 | 10,00,00,000 | 7.30% | 02-जन-2020 | 10,75,02,280.00 | 75,02,280 | 18,08,769 |
| 16 | विजया बैंक | बैंक स्ट्रीट | 588520 | 02-जन-2019 | 10,00,00,000 | 7.30% | 02-जन-2020 | 10,75,02,280.00 | 75,02,280 | 18,08,769 |
| 17 | विजया बैंक | बैंक स्ट्रीट | 588521 | 02-जन-2019 | 2,66,00,00,000 | 7.30% | 02-जन-2020 | 2,85,95,60,647.00 | 19,95,60,647 | 4,81,13,252 |
| 18 | पंजाब एण्ड सिंध बैंक | हैद. आबिडूस रोड | 895046 | 04-जन-2019 | 81,00,00,000 | 7.31% | 04-जन-2020 | 87,08,53,987.00 | 6,08,53,987 | 1,43,38,200 |
| 19 | पंजाब एण्ड सिंध बैंक | हैद. आबिडूस रोड | 895052 | 10-जन-2019 | 6,72,00,000 | 7.31% | 10-जन-2020 | 7,22,48,627.00 | 50,48,627 | 11,06,548 |
| 20 | पंजाब एण्ड सिंध बैंक | पार्क लेन | 874102 | 18-जन-2019 | 27,00,00,000 | 7.42% | 18-जन-2020 | 29,05,98,372.00 | 2,05,98,372 | 40,63,241 |
| 21 | पंजाब एण्ड सिंध बैंक | हैद. आबिडूस रोड | 895063 | 22-जन-2019 | 41,00,00,000 | 7.41% | 22-जन-2020 | 44,12,35,686.00 | 3,12,35,686 | 58,19,251 |
| 22 | विजया बैंक | बैंक स्ट्रीट | 588539 | 23-जन-2019 | 28,00,00,000 | 7.37% | 23-जन-2020 | 30,12,13,365.00 | 2,12,13,365 | 38,93,960 |
| 23 | पंजाब एण्ड सिंध बैंक | अमीरपेट | 699144 | 29-जन-2019 | 10,00,00,000 | 7.41% | 29-जन-2020 | 10,76,18,460.00 | 76,18,460 | 12,73,222 |
| 24 | पंजाब एण्ड सिंध बैंक | अमीरपेट | 699145 | 29-जन-2019 | 10,00,00,000 | 7.41% | 29-जन-2020 | 10,76,18,460.00 | 76,18,460 | 12,73,222 |
| 25 | पंजाब एण्ड सिंध बैंक | अमीरपेट | 699146 | 29-जन-2019 | 10,00,00,000 | 7.41% | 29-जन-2020 | 10,76,18,460.00 | 76,18,460 | 12,73,222 |
| 26 | पंजाब एण्ड सिंध बैंक | अमीरपेट | 699139 | 29-जन-2019 | 10,00,00,000 | 7.41% | 29-जन-2020 | 10,76,18,460.00 | 76,18,460 | 12,73,222 |
| 27 | पंजाब एण्ड सिंध बैंक | अमीरपेट | 699142 | 29-जन-2019 | 10,00,00,000 | 7.41% | 29-जन-2020 | 10,76,18,460.00 | 76,18,460 | 12,73,222 |
| 28 | पंजाब एण्ड सिंध बैंक | अमीरपेट | 699143 | 29-जन-2019 | 10,00,00,000 | 7.41% | 29-जन-2020 | 10,76,18,460.00 | 76,18,460 | 12,73,222 |
| 29 | पंजाब एण्ड सिंध बैंक | अमीरपेट | 699140 | 29-जन-2019 | 12,00,00,000 | 7.41% | 29-जन-2020 | 12,91,42,152.00 | 91,42,152 | 15,27,866 |
| 30 | विजया बैंक | बैंक स्ट्रीट | 588545 | 04-फर-2019 | 5,00,00,000 | 7.32% | 04-फर-2020 | 5,37,61,698.00 | 37,61,698 | 5,66,831 |
| 31 | विजया बैंक | बैंक स्ट्रीट | 588546 | 04-फर-2019 | 5,00,00,000 | 7.32% | 04-फर-2020 | 5,37,61,698.00 | 37,61,698 | 5,66,831 |
| 32 | विजया बैंक | बैंक स्ट्रीट | 588547 | 04-फर-2019 | 5,00,00,000 | 7.32% | 04-फर-2020 | 5,37,61,698.00 | 37,61,698 | 5,66,831 |
| 33 | विजया बैंक | बैंक स्ट्रीट | 588548 | 04-फर-2019 | 5,00,00,000 | 7.32% | 04-फर-2020 | 5,37,61,698.00 | 37,61,698 | 5,66,831 |
| | | | | कुल | 13,37,85,00,000 | | | 14,39,26,81,550 | 1,01,41,81,550 | 24,38,47,460 |

टिप्पणी - सावधि जमा की उपर्युक्त राशि में ₹3.76 करोड़ का चिकित्सा सहायता निधि शेष शामिल है।

पिछले वर्ष के आंकड़े अनुबंध II में दिये गये हैं।

(एम.एस. जयकुमार)
मुख्य लेखा अधिकारी

अनुबंध II क
भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
31 मार्च 2019 को यथाविद्यमान तुलन-पत्र के साथ संलग्न और उसका भाग बना हुआ

निवेश

| वर्ष 2017-18 के दौरान की गई सावधि जमाराशियों की सूची | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------------|------------|-------------------|------------------------|-----------------|--------------------|------------------------|------------------------|---------------------|--|--|
| क्रम सं. | बैंक का नाम | बैंक शाखा | एफडीआर सं. | जमा करने की तारीख | जमा की गई राशि (रुपये) | ब्याज की दर (%) | परिपक्वता की तारीख | परिपक्वता राशि (रुपये) | 'ग्राव्य ब्याज (रुपये) | उपचित ब्याज (Rs.) | | |
| 1 | विजया बैंक | बैंक स्ट्रीट | 588177 | 21-दिसं-2017 | 1,30,00,00,000 | 6.32 | 21-दिसं-2018 | 1,38,41,27,783 | 8,41,27,783 | 2,30,48,708 | | |
| 2 | विजया बैंक | बंजारा हिल्स | 735141 | 21-दिसं-2017 | 26,00,00,000 | 6.32 | 21-दिसं-2018 | 27,68,25,557 | 1,68,25,557 | 46,09,742 | | |
| 3 | इंडियन बैंक | हैदराबाद मुख्य शाखा | 807470 | 26-दिसं-2017 | 72,00,00,000 | 6.25 | 26-दिसं-2018 | 76,60,65,717 | 4,60,65,717 | 1,19,89,707 | | |
| 4 | विजया बैंक | बैंक स्ट्रीट | 588190 | 28-दिसं-2017 | 26,00,00,000 | 6.33 | 28-दिसं-2018 | 27,68,52,810 | 1,68,52,810 | 42,94,004 | | |
| 5 | विजया बैंक | बंजारा हिल्स | 735151 | 28-दिसं-2017 | 26,00,00,000 | 6.33 | 28-दिसं-2018 | 27,68,52,810 | 1,68,52,810 | 42,94,004 | | |
| 6 | विजया बैंक | बंजारा हिल्स | 735150 | 28-दिसं-2017 | 26,00,00,000 | 6.33 | 28-दिसं-2018 | 27,68,52,810 | 1,68,52,810 | 42,94,004 | | |
| 7 | विजया बैंक | बंजारा हिल्स | 735152 | 28-दिसं-2017 | 1,01,00,00,000 | 6.33 | 28-दिसं-2018 | 1,07,54,66,684 | 6,54,66,684 | 1,66,80,552 | | |
| 8 | विजया बैंक | बैंक स्ट्रीट | 588191 | 29-दिसं-2017 | 26,00,00,000 | 6.33 | 29-दिसं-2018 | 27,68,52,810 | 1,68,52,810 | 42,47,832 | | |
| 9 | विजया बैंक | बैंक स्ट्रीट | 599193 | 29-दिसं-2017 | 26,00,00,000 | 6.33 | 29-दिसं-2018 | 27,68,52,810 | 1,68,52,810 | 42,47,832 | | |
| 10 | विजया बैंक | बैंक स्ट्रीट | 588192 | 29-दिसं-2017 | 26,00,00,000 | 6.33 | 29-दिसं-2018 | 27,68,52,810 | 1,68,52,810 | 42,47,832 | | |
| 11 | विजया बैंक | बैंक स्ट्रीट | 588194 | 29-दिसं-2017 | 2,03,00,00,000 | 6.33 | 29-दिसं-2018 | 2,16,15,81,552 | 13,15,81,552 | 3,31,65,761 | | |
| 12 | विजया बैंक | बंजारा हिल्स | 735153 | 29-दिसं-2017 | 26,00,00,000 | 6.33 | 29-दिसं-2018 | 27,68,52,810 | 1,68,52,810 | 42,47,832 | | |
| 13 | विजया बैंक | बैंक स्ट्रीट | 588197 | 02-जन-2018 | 3,08,00,00,000 | 6.33 | 02-जन-2019 | 3,25,29,26,012 | 17,29,26,012 | 4,16,91,751 | | |
| 14 | विजया बैंक | बैंक स्ट्रीट | 588199 | 04-जन-2018 | 80,00,00,000 | 6.31 | 04-जन-2019 | 85,16,87,095 | 5,16,87,095 | 1,21,78,329 | | |
| 15 | इंडियन बैंक | हैदराबाद मुख्य शाखा | 807488 | 09-जन-2018 | 7,00,00,000 | 6.11 | 09-जन-2019 | 7,43,68,673 | 43,68,673 | 9,69,486 | | |
| 16 | इंडियन बैंक | हिमायत नगर शाखा | 11371 | 09-जन-2018 | 7,00,00,000 | 6.11 | 09-जन-2019 | 7,43,68,673 | 43,68,673 | 9,69,486 | | |
| 17 | विजया बैंक | बैंक स्ट्रीट | 588217 | 18-जन-2018 | 21,00,00,000 | 6.37 | 18-जन-2019 | 22,36,99,949 | 1,36,99,949 | 27,02,456 | | |
| 18 | विजया बैंक | बैंक स्ट्रीट | 588220 | 22-जन-2018 | 10,00,00,000 | 6.37 | 22-जन-2019 | 10,65,23,785 | 65,23,785 | 12,15,390 | | |
| 19 | विजया बैंक | बैंक स्ट्रीट | 588221 | 22-जन-2018 | 10,00,00,000 | 6.37 | 22-जन-2019 | 10,65,23,785 | 65,23,785 | 12,15,390 | | |
| 20 | विजया बैंक | बैंक स्ट्रीट | 588224 | 23-जन-2018 | 19,00,00,000 | 6.37 | 23-जन-2019 | 20,23,95,192 | 1,23,95,192 | 22,75,282 | | |
| 21 | विजया बैंक | बैंक स्ट्रीट | 588231 | 29-जन-2018 | 21,00,00,000 | 6.37 | 29-जन-2019 | 22,36,99,949 | 1,36,99,949 | 22,89,581 | | |
| 22 | विजया बैंक | बैंक स्ट्रीट | 588232 | 29-जन-2018 | 21,00,00,000 | 6.37 | 29-जन-2019 | 22,36,99,949 | 1,36,99,949 | 22,89,581 | | |
| | | | | कुल | 12,18,00,00,000 | | | 12,94,19,30,025 | 76,19,30,025 | 18,71,64,539 | | |

टिप्पणी - सावधि जमा की उपर्युक्त राशि में ₹3.46 करोड़ का चिकित्सा सहायता निधि शेष शामिल है।

(एम.एस. जयकमार)
मुख्य लेखा अधिकारी

अनुबन्ध III
भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र के साथ संलग्न और उसका भाग बना हुआ

चालू आस्तियाँ, ऋण और अग्रिम

| विवरण (1) | (राशि रुपये में) | |
|--|--------------------------------------|---------------------------------------|
| | चालू वर्ष के आंकड़े (2018-19) (2) | पिछले वर्ष के आंकड़े (2017-18) (3) |
| जमा राशियाँ | | |
| प्रतिभूति जमा राशियाँ - टेलीफोन | 84,635 | 84,635 |
| प्रतिभूति जमा राशियाँ - बिजली और गैस | 4,84,550 | 5,29,550 |
| प्रतिभूति जमा राशियाँ - ईंधन | 7,650 | 7,650 |
| प्रतिभूति जमा राशियाँ - किराया | 92,000 | 25,23,861 |
| कुल | 6,68,835 | 31,45,696 |
| स्टाफ को ऋण और अग्रिम | | |
| आवास ऋण | 35,78,34,209 | 32,15,07,453 |
| अन्य प्रयोजनों के लिए | 1,31,26,191 | 1,48,51,134 |
| विशेष अग्रिम | 25,63,885 | 23,25,000 |
| वसूली-योग्य ब्याज | 9,61,27,024 | 7,74,49,648 |
| अग्रिम अन्य | 19,47,707 | 4,10,650 |
| कुल | 47,15,99,016 | 41,65,43,885 |
| अन्य चालू आस्तियाँ | | |
| उपचित परंतु अदेय ब्याज - बैंक जमा राशियों पर | 24,56,27,695 | 18,71,64,539 |
| क्रेडिट समिति को अग्रिम | 2,48,992 | 2,52,605 |
| पूर्वदत्त व्यय | 9,45,849 | - |
| विविध देनदार | 13,73,151 | 2,04,120 |
| केन्द्रीय मूल्ययोजित कर जमा (सेनवैट क्रेडिट) | 1,04,30,896 | 1,04,30,896 |
| भवन के लिए एपीआईआईसी से वसूलीयोग्य राशि | 10,00,23,218 | 10,00,23,218 |
| बीमा और जोखिम प्रबंध संस्थान को अग्रिम | 41,50,20,841 | 41,50,20,841 |
| अन्य - यात्रा और एलएफसी के लिए अग्रिम | 3,44,534 | 8,84,623 |
| सीपीडब्ल्यूडी के पास अग्रिम | 1,00,00,000 | 3,75,00,000 |
| एनएफडीसी के पास अग्रिम | - | 8,33,282 |
| आकाशवाणी के पास अग्रिम | - | 32,71,809 |
| कुल | 78,40,15,176 | 75,55,85,933 |
| नकदी और बैंक शेष | | |
| हाथ में नकदी | 0 | 80,000 |
| हाथ में चेक | 0 | 0 |
| मागेस्थ नकदी/ चेक | 0 | 0 |
| कुल | 0 | 80,000 |
| अनुसूचित बैंकों के पास शेष | | |
| (क) चालू खाते में (स्वीप शेष सहित) | 23,73,02,111 | 23,32,59,077 |
| (ख) जमा खाते में | 0 | 0 |
| गैर-अनुसूचित बैंक के पास शेष | | |
| (क) चालू खाते में | 0 | 0 |
| (ख) जमा खाते में | 0 | 0 |
| कुल | 23,73,02,111 | 23,32,59,077 |

(एम.एस. जयकुमार)
मुख्य लेखा अधिकारी

अनुबंध IV
भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र के साथ संलग्न और उसका भाग बना हुआ

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण निधि

(राशि रुपयों में)

| विवरण | चालू वर्ष के आंकड़े (2018-19) | पिछले वर्ष के आंकड़े (2017-18) |
|----------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| भारत सरकार से अनुदान | - | - |
| अन्य | 8,93,244 | 8,93,244 |
| कुल | 8,93,244 | 8,93,244 |

(एम.एस. जयकुमार)
मुख्य लेखा अधिकारी

अनुबंध V
भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र के साथ संलग्न और उसका भाग बना हुआ

आकस्मिक देयताएँ

(राशि रुपयों में)

| विवरण | चालू वर्ष के आंकड़े (2018-19) | पिछले वर्ष के आंकड़े (2017-18) |
|-------|-------------------------------|--------------------------------|
| | - | - |
| | - | - |

(एम.एस. जयकुमार)
मुख्य लेखा अधिकारी

अनुबंध VI
भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए आय-व्यय लेखे के साथ संलग्न और उसका भाग बना हुआ

कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान

(राशि रुपयों में)

| क्रम सं. | विवरण | चालू वर्ष के आंकड़े (2018-19) | पिछले वर्ष के आंकड़े (2017-18) |
|----------|---|-------------------------------|--------------------------------|
| (i) | वेतन, भत्ते, मजदूरी और बोनस | 51,88,82,259 | 48,47,79,803 |
| (ii) | भविष्य-निधि, आदि में अंशदान (अधिवर्षिता निधि में अंशदान सहित) | 8,15,71,566 | 8,42,31,246 |
| (iii) | उपदान (गैरच्युटी) | 4,02,482 | 1,15,26,857 |
| (iv) | स्टाफ कल्याण संबंधी व्यय | 1,00,28,087 | 95,72,022 |
| (v) | अन्य | | |
| | पुस्तक अनुदान | 15,23,262 | 10,50,983 |
| | छुट्टी किराया रियायत | 3,79,61,630 | 1,18,79,963 |
| | मौद्रिक पुरस्कार - अध्ययन | - | - |
| | सामूहिक बीमा योजना में अंशदान | 97,52,444 | 61,69,078 |
| | स्टाफ द्वारा किये गये व्ययों की प्रतिपूर्ति | 13,42,23,923 | 9,31,68,948 |
| | छुट्टी वेतन का नकदीकरण | 3,32,56,405 | 41,36,469 |
| | कुल | 82,76,02,058 | 70,65,15,369 |

(एम.एस. जयकुमार)
मुख्य लेखा अधिकारी

अनुबंध VII
भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए आय-व्यय लेखे के साथ संलग्न और उसका भाग बना हुआ

स्थापना व्यय

(राशि रुपयों में)

| विवरण | चालू वर्ष के आंकड़े (2018-19) | पिछले वर्ष के आंकड़े (2017-18) |
|---|-------------------------------|--------------------------------|
| (1) | (2) | (3) |
| आंतरिक व्यवस्था - कार्यालय का रखरखाव | 1,82,13,688 | 1,67,36,726 |
| उपस्करणों की मरम्मत और रखरखाव | 10,65,66,548 | 4,07,26,309 |
| बिजली और पानी संबंधी व्यय | 2,21,31,533 | 57,34,529 |
| बीमा संबंधी व्यय | 7,34,354 | 19,137 |
| मुद्रण और लेखन-सामग्री | 44,74,207 | 53,95,061 |
| पुस्तकें/पत्रिकाएँ आदि | 1,97,089 | 1,32,289 |
| डाक-व्यय, टेलीफोन, आदि | 34,76,841 | 1,94,07,518 |
| यात्रा और वाहन - अंतर्देशीय | 3,53,82,494 | 3,02,51,694 |
| यात्रा - विदेशी | 1,02,61,237 | 1,09,35,988 |
| कानूनी और व्यावसायिक प्रभार | 2,33,71,297 | 2,66,15,344 |
| शिक्षा/प्रशिक्षण/आरण्डडी/शिकायत निवारण संबंधी व्यय | 48,01,072 | 44,39,647 |
| लेखा-परीक्षा शुल्क | - | - |
| भर्ती संबंधी व्यय | 16,82,557 | 38,50,446 |
| प्राधिकरण तथा बीमा सलाहकार समिति की बैठकों और अन्य बैठकों के व्यय | 58,17,406 | 60,21,466 |
| सदस्यता और अभिदान | 62,23,111 | 56,81,180 |
| सुरक्षा सेवाएँ | 8,22,306 | 7,70,329 |
| रसोई-भंडार (पैट्री) संबंधी व्यय | 19,83,710 | 17,06,804 |
| कार मरम्मत और रखरखाव व्यय | 13,223 | 23,135 |
| अन्य व्यय | 7,32,668 | 7,97,673 |
| कुल | 24,68,85,340 | 17,92,45,274 |

(एम.एस. जयकुमार)
मुख्य लेखा अधिकारी

अनुबंध VIII
भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए आय-व्यय लेखे के साथ संलग्न और उसका भाग बना हुआ

ब्याज

| विवरण | (राशि रुपयों में) | |
|-------|-------------------------------|--------------------------------|
| | चालू वर्ष के आंकड़े (2018-19) | पिछले वर्ष के आंकड़े (2017-18) |
| सरकार | - | - |
| बैंक | - | - |
| अन्य | - | - |
| Total | - | - |

(एम.एस. जयकुमार)
मुख्य लेखा अधिकारी

अनुबंध-IX

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए आय-व्यय लेखे के साथ संलग्न और उसका भाग बना हुआ

वार्षिक लेखा-विवरण संबंधी टिप्पणियाँ

[जब तक अन्यथा विनिर्दिष्ट नहीं किया गया हो, सभी राशियाँ रुपयों में हैं]

| | |
|-----|---|
| 1. | पृष्ठभूमि |
| | <p>भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (प्राधिकरण) संसद के एक अधिनियम - बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (यथासंशोधित) द्वारा स्थापित किया गया तथा भारत के राजपत्र में प्रकाशित की गई एक अधिसूचना द्वारा 19 अप्रैल 2000 को गठित किया गया। प्राधिकरण की स्थापना बीमा पॉलिसियों के धारकों के हितों की रक्षा करने, बीमा उद्योग को विनियमित करने, उसे बढ़ावा देने और उसकी सुव्यवस्थित रूप में वृद्धि सुनिश्चित करने एवं उसके साथ संबद्ध और उसके लिए प्रासंगिक मामलों हेतु, आवेदक को पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करने, पंजीकरण को नवीकृत करने, आशोधित करने, वापस लेने, निलंबित करने, अथवा निरस्त करने एवं उक्त अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए शुल्क और अन्य प्रभार वसूल करने के उद्देश्य से की गई। अधिनियम की धारा 16 के अनुसार एक निधि अर्थात् "बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण निधि" [निधि] गठित की जाएगी। उक्त निधि के अंतर्गत सभी सरकारी अनुदान, प्राधिकरण द्वारा प्राप्त किये गये शुल्क और प्रभार, केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित किये जानेवाले अन्य स्रोत से प्राधिकरण द्वारा प्राप्त की गई सभी राशियाँ तथा बीमाकर्ताओं से प्राप्त शुल्क शामिल होंगे। इस निधि का उपयोग प्राधिकरण के सदस्यों, कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और अन्य पारिश्रमिक का भुगतान करने, एवं अपने कार्य करने के संबंध में प्राधिकरण के अन्य व्यय वहन करने के लिए और उक्त अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए किया जाएगा।</p> |
| 2. | महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश |
| | <p>वित्तीय विवरण इसके नीचे स्पष्ट किये अनुसार नकदी आधार पर राजस्व स्वीकृति के लिए लेखांकन बचत के उपचय के आधार पर ऐतिहासिक लागत परंपरा के अंतर्गत एवं भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किये गये लेखांकन संबंधी लागू मानकों के अनुसार तैयार किये जाते हैं। महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ निम्नानुसार हैं :</p> |
| (क) | अचल आस्तियाँ और मूल्यहास |
| | <p>अचल आस्तियाँ उनकी लागत पर संचित मूल्यहास को घटाकर बताई जाती हैं। अचल आस्तियों पर मूल्यहास कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के भाग 'सी' के उपबंधों के अनुसार दिया जाता है।</p> |

| | (ख) | निवेश | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------|---|-------|--------------------|-------------------|--|------|------|------------|------|------|-------------------|------|------|-------------|------|--------|----------------------------------|--------|------|--|------|-------|
| | | सरकारी क्षेत्र के बैंकों के पास सावधि जमाराशियों के स्वरूप के निवेश उनकी लागत पर बताये गये हैं। निवेश नीति को 9 फरवरी 2018 को संपन्न प्राधिकरण की 100वीं बैठक में संशोधित किया गया। संशोधित नीति के अनुसार, निधियों का निवेश 10% से अनधिक एनएनपीए अनुपात से युक्त सरकारी क्षेत्र के बैंकों की मीयादी जमाराशियों में किया जाता है। | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (ग) | आय | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <p>(i) पंजीकरण शुल्क (क) भारत में किसी भी श्रेणी का बीमा/ पुनर्बीमा व्यवसाय करने के लिए पंजीकरण की अपेक्षा करनेवाले बीमाकर्ता से पहली बार प्राप्त पंजीकरण शुल्क प्राप्ति के वर्ष की आय के रूप में माना जाता है। (ख) बीमा मध्यवर्तियों के रूप में कार्य करने के लिए पंजीकरण की अपेक्षा करनेवाली बीमा मध्यवर्ती संस्थाओं से पहली बार प्राप्त पंजीकरण शुल्क प्राप्ति के वर्ष की आय के रूप में माना जाता है।</p> <p>(ii) नवीकरण शुल्क: नवीकरण शुल्क पंजीकरण के नवीकरण के लिए बीमाकर्ताओं/ पुनर्बीमाकर्ताओं से अग्रिम रूप से प्राप्त किया जाता है। इसे उस वर्ष की आय के रूप में माना जाता है जिससे यह संबंधित है। मध्यवर्ती संस्थाओं से प्राप्त नवीकरण शुल्क उसकी प्राप्ति के वर्ष की आय के रूप में माना जाता है।</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (घ) | <p>सेवानिवृत्ति लाभ कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति लाभ अर्थात् उपदान (ग्रैच्युटी) और छुट्टी का नकदीकरण भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसीआई) से ली गई सामूहिक ग्रैच्युटी योजना और सामूहिक छुट्टी नकदीकरण योजना द्वारा रक्षित हैं।</p> <p>सारणी 1 - दायित्व का वर्तमान मूल्य दर्शानेवाली सारणी (रुपये करोड़ में)</p> <table> <tr> <th>विवरण</th><th>उपदान (ग्रैच्युटी)</th><th>छुट्टी का नकदीकरण</th></tr> <tr> <td>वर्ष के प्रारंभ में दायित्वों का वर्तमान मूल्य</td><td>8.59</td><td>7.76</td></tr> <tr> <td>ब्याज लागत</td><td>0.64</td><td>0.62</td></tr> <tr> <td>वर्तमान सेवा लागत</td><td>0.91</td><td>1.36</td></tr> <tr> <td>प्रदत्त लाभ</td><td>0.00</td><td>(1.55)</td></tr> <tr> <td>दायित्वों पर बीमांकिक (लाभ)/हानि</td><td>(1.60)</td><td>2.96</td></tr> <tr> <td>वर्ष के अंत में दायित्वों का वर्तमान मूल्य</td><td>8.54</td><td>11.15</td></tr> </table> | विवरण | उपदान (ग्रैच्युटी) | छुट्टी का नकदीकरण | वर्ष के प्रारंभ में दायित्वों का वर्तमान मूल्य | 8.59 | 7.76 | ब्याज लागत | 0.64 | 0.62 | वर्तमान सेवा लागत | 0.91 | 1.36 | प्रदत्त लाभ | 0.00 | (1.55) | दायित्वों पर बीमांकिक (लाभ)/हानि | (1.60) | 2.96 | वर्ष के अंत में दायित्वों का वर्तमान मूल्य | 8.54 | 11.15 |
| विवरण | उपदान (ग्रैच्युटी) | छुट्टी का नकदीकरण | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| वर्ष के प्रारंभ में दायित्वों का वर्तमान मूल्य | 8.59 | 7.76 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ब्याज लागत | 0.64 | 0.62 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| वर्तमान सेवा लागत | 0.91 | 1.36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| प्रदत्त लाभ | 0.00 | (1.55) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| दायित्वों पर बीमांकिक (लाभ)/हानि | (1.60) | 2.96 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| वर्ष के अंत में दायित्वों का वर्तमान मूल्य | 8.54 | 11.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

सारणी 2 - योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य दर्शानेवाली सारणी (रुपये करोड़ में)

| विवरण | उपदान (गैच्युटी) | छुट्टी का नकदीकरण |
|--|------------------|-------------------|
| वर्ष के प्रारंभ में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य | 8.23 | 8.18 |
| योजनागत आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ | 0.67 | 0.64 |
| अंशदान | 0.28 | 1.87 |
| प्रदत्त लाभ | 0.00 | (1.55) |
| योजनागत आस्तियों पर बीमांकिक (लाभ)/हानि | 0.00 | 0.00 |
| वर्ष के अंत में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य | 9.18 | 9.14 |

सारणी 3 - प्रधान बीमांकिक पूर्वानुमान

| विवरण | उपदान (गैच्युटी) | छुट्टी का नकदीकरण |
|-------------------------|------------------|-------------------|
| बढ़ा दर (डिस्काउंट रेट) | 7.50% | 8.00% |
| वेतन में वृद्धि | 8.00% | 7.00% |

प्रयुक्त मूल्यांकन की पद्धति 'पूर्वानुमानित यूनिट लागत पद्धति' है। 31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार गैच्युटी योजना के लिए निधि का मूल्य 9.02 करोड़ रुपये तथा छुट्टी नकदीकरण योजना के लिए निधि का मूल्य 8.99 करोड़ रुपये था।

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण आईआरडीए कर्मचारी भविष्य निधि, राष्ट्रीय पेंशन योजना और आईआरडीए अधिवर्षिता निधि न्यास, जैसा लागू हो, में अंशदान करता है।

आईआरडीएआई के पास चिकित्सा सहायता निधि (एमएएफ) योजना है जो नियोक्ता और कर्मचारियों से किये जानेवाले अंशदान से युक्त है। इस निधि की मात्रा 31 मार्च 2019 को 3.76 करोड़ रुपये थी, जिसमें 0.21 करोड़ रुपये की राशि शामिल है जो चालू वर्ष में ब्याज के रूप में उक्त निधि में अंतरित की गई है।

(ड) आईआईआरएम को ब्याज-रहित ऋण/अग्रिम

आईआरडीएआई ने बीमा और जोखिम प्रबंध संस्थान (आईआईआरएम) को ब्याज-रहित ऋण / अग्रिम दिया था। उक्त ऋण का बकाया शेष 31 मार्च 2019 को 41.50 करोड़ रुपये था। प्राधिकरण ने (24 अक्टूबर 2016 को आयोजित 94वीं बैठक में) प्रथम और द्वितीय ऋण की प्राप्य और अदत्त किस्तों को वर्ष 2019-20 तक आस्थगित करने का निर्णय किया है। तृतीय ऋण की चुकोती एमओयू के अनुसार प्रारंभ होना अभी बाकी है। जहाँ तक चतुर्थ ऋण का संबंध है, चुकोती / तौर-तरीकों की शर्तों को अंतिम रूप दिया जा रहा है तथा परिशोधित एमओयू का संशोधन प्रक्रियाधीन है।

| | | |
|----|-----|---|
| | (च) | आईआरडीएआई भवन |
| | | आईआरडीएआई के कार्यालय भवन के निर्माण के लिए एपीआईआईसी के साथ किया गया पहले का करार निरस्त किया गया है। ठेकेदार ने 2013 में एपीआईआईसी के विरुद्ध एक रिट याचिका दायर की है। एपीआईआईसी और आईआरडीएआई के बीच किये गये एमओयू की शर्तों के अनुसार एपीआईआईसी (अब टीएसआईआईसी) के द्वारा 10 करोड़ रुपये की राशि रख ली गई थी। |
| 3. | | आय-कर प्राधिकरण की आय को आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23बीबीई) के अंतर्गत छूट प्राप्त होने के कारण आय-कर के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। |
| 4. | | प्राधिकरण की निधियाँ भारत के लोक लेखे में जमा करना प्राधिकरण को पिछले वर्षों में वित्त मंत्रालय से पत्र प्राप्त हुए जिनके द्वारा प्राधिकरण को निदेश दिया गया कि प्राधिकरण द्वारा अब तक प्राप्त की गई धनराशियाँ ब्याज-रहित खाते के रूप में भारत के लोक लेखे में जमा की जाएँ तथा प्राधिकरण को अपना व्यय वहन करने के लिए उपर्युक्त लोक लेखे से प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में एक विनिर्दिष्ट राशि आहरित करने की अनुमति दी गई। प्राधिकरण द्वारा इस संबंध में मंत्रालय के साथ पत्र-व्यवहार किया जा रहा है। |
| 5. | | परिचालनाधीन पट्टे ऐसा कोई पट्टा करार नहीं है जिसका निरसन नहीं किया जा सकता हो। |

(एम. एस. जयकुमार)

मुख्य लेखा अधिकारी